बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–09/2020(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–.......................

डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिह, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया के विरूद्ध अकेक्षण निदेशालय के प्रतिवेदन स0–29/2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष–2015–16 में बचत राशि के प्रत्यर्पण से सबधित अभिलेख उपलब्ध नही कराने, जेनरेटर सचालक को अधिक भुगतान करने के आरोप का अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने, पजीयन शुल्क एवं एम्बुलेस से प्राप्त 2500/–रू० राशि को संबंधित खाते मे जमा नहीं करने, अधिक क्षेत्रफल दर्शाकर आपूर्तिकर्ता को कुल 1,17,515/– रू० का भुगतान करने, आपूर्तिकर्ता से सेवाकर के रूप मे निर्धारित दर पर राशि की कटौती नही करने, एवं कतिपय आरोपो के लिए विभागीय ज्ञापन सं0–1697(9) दिनाक–21.11.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

2. डा0 सिंह द्वारा बचाव का अभिकथन साक्ष्यो सहित समर्पित की गयी, जिसकी समीक्षा से ज्ञात होता है कि अकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक–317 दिनांक–11 07.2024 द्वारा आपत्ति की कंडिका–3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15(ख) को विलोपित किया गया है जो डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिह के कार्यकाल से सबंधित था।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिह, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया के विरूद्ध अकेक्षण निदेशालय द्वारा दर्ज आपति के आधार पर विभागीय ज्ञापन स0–1697(9) दिनाक–21.11 2023 द्वारा गठित आरोप पत्र को, उनके कार्यकाल के आपति विलोपित होने के कारण आरोप प्रकरण से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया है।

4. अतएव राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया के विरूद्ध अकेक्षण निदेशालय द्वारा दर्ज आपति के आधार पर विभागीय ज्ञापन स0–1697(9) दिनाक–21.11.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र से मुक्त किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–09/2020(स्वा0) 721(9)/ **पटना, दिनांकः–** 30.6.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एव ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिह, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया पत्राचार का पता–ग्राम–चंडी स्थान पोस्ट, दरीऔरा, थाना–आमस गया, पिन–824211 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
27/06/2025
सरकार के अवर सचिव।